नदीम और नीरज खिलाड़ी के तौर पर दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे। इससे पता चलता है कि खेल किसी भी सीमा से परे है और खेल सभी को एकजुट करता है। इन दोनों ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, "यह भारत-पाकिस्तान जैसा है। - **हरभजन सिंह**

पूर्व भारतीय क्रिकेटर, नदीम और नीरज की खेलभावना की प्रशंसा की।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी

पीआर श्रीजेश

भारतीय हॉकी टीम की दीवार कहे जाने वाले गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य मेडल जीतने के बाद संन्यास ले लिया। हालांकि, अब भी वह टीम से जुड़े रहेंगे। शुक्रवार को हॉकी इंडिया ने दिग्गज खिलाड़ी को जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वह अब युवा टीम को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। साथ ही फैंस से श्रीजेश से संन्यास के बाद लगातार उनके वापसी की मांग कर रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये विदा लेने का सही समय है।

क्या आप जानते हैं ?... द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फीफा के इतालवी उपाध्यक्ष डॉ. ओटारियानो बैरासी ने विश्व कप ट्रॉफी को अपने पलंग के नीचे एक जूते के डिब्बे में छुपाए रखा।

प्रदर्शन से खुश नहीं हूं : नीरज

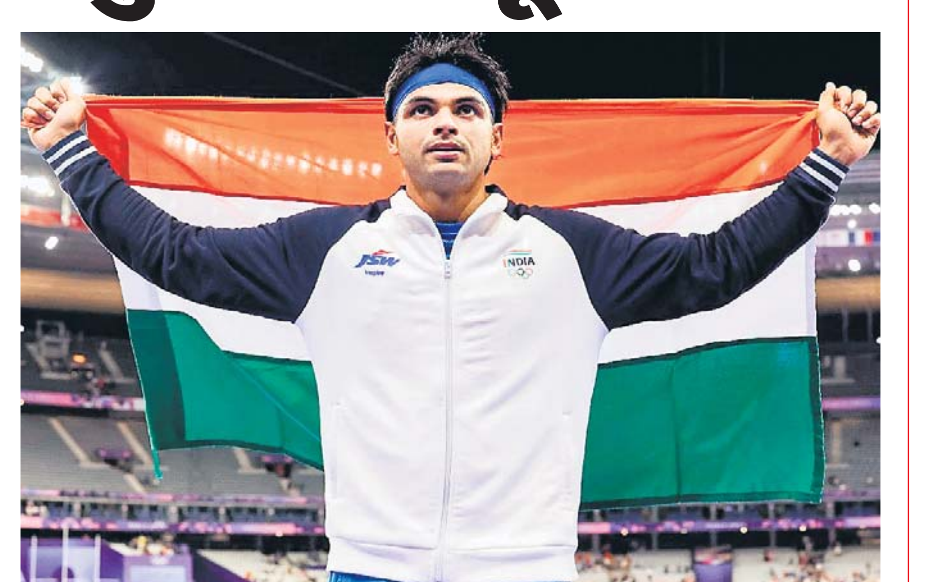

पेरिस, 9 अगस्त। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा है कि वह अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है। नीरज ने पुरुषों के भाला फेंक फाइनल के बाद कहा, यह एक अच्छा थ्रो था लेकिन मैं आज अपने प्रदर्शन से उतना खुश नहीं हूं। मेरी तकनीक और रनवे उतना अच्छा नहीं था। केवल एक थ्रो (मैं कामयाब रहा) बाकी मैंने फाउल कर दिए। दूसरे थ्रो के लिए मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं भी इतनी दूर तक थ्रो कर सकता हूं। लेकिन यह इतना अच्छा नहीं रहा। उन्होंने कहा पिछले दो या तीन साल मेरे लिए इतने अच्छे नहीं थे। मैं हमेशा चोटिल रहा हूं। मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की लेकिन मुझे अपनी चोट से दूर रहने और तकनीक पर काम करना होगा। उल्लेखनीय है कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपडा ने गुरुवार को 89.45 मीटर प्रयास के साथ पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक जीता। यह उनके करियर का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। चोपड़ा को पहली बार किसी सीनियर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पीछे कर दिया। अरशद ने 92.97 मीटर का बड़ा थ्रो फेंक करके खिताब जीता और ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया।

पेरिस में अमन ने मचाया दंगल

भारत को कुश्ती में रेसलर अमन सहरावत ने कांस्य दिलाया, डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया

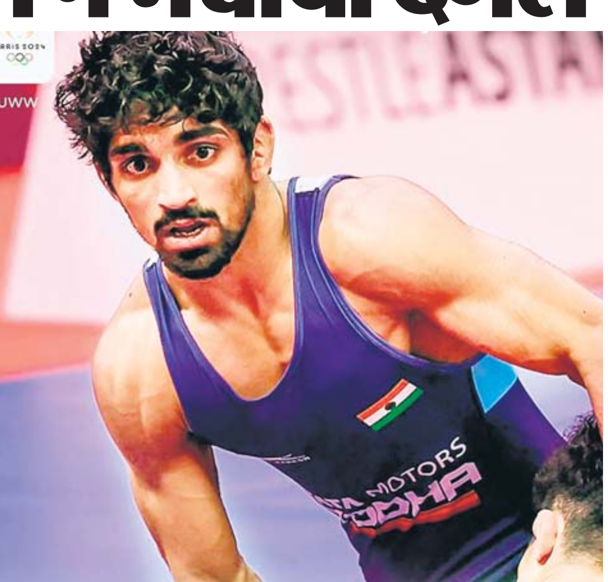

पेरिस, 9 अगस्त। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम वर्ग में डेरियन क्रूज को 13-5 से हराकर भारत को छठा पदक दिलाया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में भारत का यह पहला पदक है। इससे पहले अमन को सेमीफाइनल मुकाबले में जापान के पहलवान से हार का सामना करना पड़ा था।

अमन ने विश्व चैंपियन अल्बानिया के ज़ेलिमखान अबकारोव को तकनीकी श्रेष्ठता 12-0 के आधार पर हराकर पुरुषों की 57 किग्रा फ्रीस्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर अमन की यह लगातार दूसरी जीत थी। इससे पहले उन्होंने उत्तरी मैसेडोनिया के यूरोपीय चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता व्लादिमीर इगोरोव को हराकर क्वार्टरफाइनल में पहुंचे थे।

आप खुद में सोना हो : मोदी

सिल्वर मेडल जीतने के बाद पीएम ने नीरज से की बात

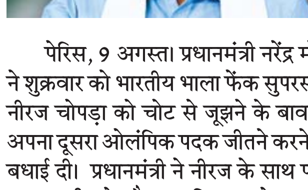

पेरिस, 9 अगस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारतीय भाला फेंक सुपरस्टार नीरज चोपड़ा को चोट से जूझने के बावजूद अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतने करने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने नीरज के साथ फोन पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान के अरशद नदीम के बारे में टिप्पणियों के लिए उनकी मां सरोज देवी की भी सराहना की। सरोज ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले नदीम के लिए खुशी व्यक्त करते हुए उसे 'अपने बेटे जैसा' बताया था। पीएम मोदी ने कहा, "आपकी माँ द्वारा दिया गया साक्षात्कार खेल परिवार की भावना को दर्शाता है। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में कहा, 'वह (नदीम) भी मेरा बेटा है।' मोदी ने उनसे स्वर्ण पदक चूकने पर ध्यान नहीं देने की सलाह देते हुए कहा कि बहुत कम खिलाड़ियों को दो ओलंपिक पदक जीतने का गौरव प्राप्त होता है और आप तो खुद में ही सोना है। नीरज ने प्रधानमंत्री से कहा, " चोट के कारण मैं स्वर्ण पदक के लिए जोर नहीं लगा सका लेकिन चोट और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद रजत पदक जीतकर खुश हूं।"

मोदी ने कहा, "आपने चोट के बावजूद यह उपलब्धि हासिल की है, जो अविश्वसनीय है। यह हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगा। देश के लिए कुछ करने का यही जज्बा हमें प्रेरित करता है।" मोदी ने नदीम के बारे में कहा, "मुझे याद है पिछली बार आपने अपने प्रतिद्वंदी के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। आपने बताया था कि वह कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हैं।" उन्होंने कहा कि वह नीरज की चोट पर विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि आगे चलकर इसे कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है।

सप्त शक्ति कमांड द्वारा हार्स शो का आयोजन कल से शुरू

जयपुर, 9 अगस्त। सप्त शक्ति कमांड के तत्वावधान में 11 अगस्त से 19 अगस्त 2024 तक जयपुर मिलिट्री स्टेशन के कैवलरी पोलो ग्राउंड में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में फेडरेशन इक्वेस्ट्रियन इंटरनेशनल और इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडियन के नियमों के तहत

ड्रेसेज, शो जंपिंग और टेंट पेगिंग सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और प्रतिष्ठित संस्थानों की टीमों सहित विभिन्न प्रकार की सिविल और सैन्य टीमों भी भाग लेगी, जो उभरते और अनुभवी दोनों तरह के घुड़सवारों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। उल्लेखनीय भाग लेने वाली टीमों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान पुलिस बल, सागर घुड़सवारी स्कूल और मेयो कॉलेज, अजमेर शामिल हैं।

श्रीजेश और मनु होंगे पेरिस ओलिंपिक समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक

पेरिस, 9 अगस्त। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश और महिला निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। आईओए की अध्यक्ष डॉ. पीटी उषा ने कहा, श्रीजेश ने दो दशकों से अधिक समय तक विशेष रूप से भारतीय हॉकी और भारतीय खेल की सराहनीय सेवा की है। उन्होंने कहा, मैंने नीरज चोपड़ा से बात की और उस सहजता और शालीनता की सराहना की जिसके साथ वह इस बात पर सहमत हुए कि श्रीजेश को समापन समारोह में ध्वजवाहक होना चाहिए। श्रीजेश ठोीष्मकालीन खेलों में पुरुष हॉकी कांस्य पदक

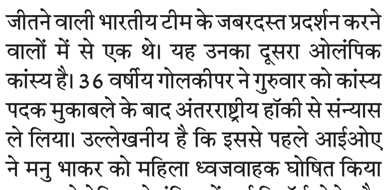

जीतने वाली भारतीय टीम के जबरदस्त प्रदर्शन करने वालों में से एक थे। यह उनका दूसरा ओलंपिक कांस्य है। 36 वर्षीय गोलकीपर ने गुरुवार को कांस्य पदक मुकाबले के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले आईओए ने मनु भाकर को महिला ध्वजवाहक घोषित किया था। मनु ने पेरिस ओलंपिक में कई रिकॉर्ड तोड़े और दो कांस्य पदक जीते।

पंचाट न्यायालय में विनेश फोगाट का पक्ष रखेंगे हरीश साल्वे

नयी दिल्ली, 9 अगस्त। पंचाट न्यायालय (सीएएस) में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट का संयुक्त रजत पदक दिये जाने का अनुरोध को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और उनके मामले की पैरवी प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे करेंगे। सीएएस विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने सात अगस्त को सीएएस एड हॉक डिवीजन में अपील दायर उन्हें पेरिस ओलंपिक में अयोग्य ठहराये जाने के निर्णय को रद्द करने और अंतिम मैच से पहले एक बार और वजन मापने का आदेश देने के साथ-साथ उन्हें फाइनल में भाग लेने के लिए योग्य घोषित किये जाने की मांग सीएएस एड हॉक डिवीजन से की गई थी। इसके साथ ही दूसरी अपील में विनेश ने उन्हें संयुक्त रजत दिये जाने की अनुरोध किया गया था। सीएएस ने दूसरी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सीएएस के समक्ष विनेश के मामले की पैरवी के लिए भारतीय अधिकारियों ने वकील हरीश साल्वे को नियुक्त किया।

भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम 4 गुणा 400 स्पर्धा के फाइनल में नहीं बना पायी जगह

पेरिस, 9 अगस्त। भारतीय महिला और पुरुष रिले टीमें शुक्रवार को पेरिस ओलंपिक में 4 गुणा 400 मीटर रिले दौड़ प्रतियोगिता के फाइनल में जगह नहीं बना सकी। आज यहां स्टेड-डी-फ्रांस में हुए पहले राउंड में भारतीय पुरुषों की 4 गुणा 400 मीटर रिले टीम 3:00.58 के सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ हीट 2 में पांचवें और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रही। वे फाइनल में जगह नहीं बना सके। अमोज जैकब, राजेश रमेश, मुहम्मद अजमल और मुहम्मद अनस ने टीम के लिए दौड़ लगाई, जबकि संतोष कुमार तमिलरसन बाहर बैठे रहे। अजमल सबसे तेज भारतीय धावक रहे, जिनका समय 44.60 रहा। फ्रांस ने (2:59.53), नाइजीरिया ने (2:59.81) और बेल्जियम ने (2:59.84) ने भारतीयों को पछाड़ते हुए हीट 2 से फाइनल में जगह बनाई।

राजधानी

बाल भिक्षावृत्ति का मुद्दा उठाया राठौड़ ने

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने देश में बढ़ रहे बाल भिक्षावृति जैसे गंभीर मुद्दे को आज राज्यसभा में उठाते हुए ऐसे बच्चों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था करने की मांग की।

राठौड़ ने कहा कि आज देश के अधिकांश चौराहों पर संगठित गिरोह द्वारा छोटे बच्चों का अपहरण कर उनके अंगों को क्षतिग्रस्त कर भिक्षा मंगवाई जा रही है। इसे रोकने के लिये केंद्र सरकार को विशेष मुहिम चलानी चाहिये।

खाद्य सुरक्षा को लेकर एकलपीठ के दिए निर्देशों पर रोक

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उन विस्तृत निर्देशों पर रोक लगा दी है, जो एकलपीठ ने खाद्य पदार्थों के मिलावट के संबंध में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार को दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

अदालत ने एकलपीठ की ओर से उठाए मुद्दों पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने को कहा है। सीजे एमएम श्रीवास्तव और गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए। खंडपीठ ने कहा कि एकलपीठ ने मामले में विस्तृत आदेश पारित किए हैं और यह आदेश अंतरिम प्रकृति के ना होकर अंतिम प्रकृति के लग रहे हैं। ऐसे में इन आदेशों को आगे जारी नहीं रखा जा रहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एकलपीठ ने मामले में प्रसंज्ञान लेते समय व्यापक निर्देश देते हुए प्रकरण को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेजा था। एकलपीठ के यह निर्देश अंतरिम प्रकृति के नहीं बल्कि अंतिम प्रकृति हैं। ऐसे में अब खंडपीठ के समक्ष इन निर्देशों को लागू कराने के अलावा कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है। इस पर अदालत ने एकलपीठ की ओर से दिए निर्देशों पर रोक लगाते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

गौरतलब है कि जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने गत 1 जुलाई को खाद्य पदार्थों में मिलावट से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां होने पर चिंता जताते हुए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही एकलपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत निर्देश दिए थे। एकलपीठ ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी गठन के आदेश देते हुए कई प्रभावी निर्देश दिए थे।

राज्यपाल आज ट्रेन से बाड़मेर जाएंगे

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे 9 अगस्त को रात्रि 8.55 बजे मालाणी एक्सप्रेस ट्रेन से बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेंगे।

बागडे 10 अगस्त को बाड़मेर में सीमा क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही सैनिक सम्मेलन में भाग लेंगे।

राज्यपल बाड़मेर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। राज्यपाल का 10 अगस्त रात्रि को ही बाड़मेर से ट्रेन से रवाना होकर 11 अगस्त को सुबह जयपुर आने का कार्यक्रम है।

हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनावों की जनहित याचिका की सुनवाई से इंकार किया

- **अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने छात्रसंघ चुनाव की फीस वापस लेने के लिए कर रखा है आवेदन, इसलिए जनहित याचिका के तौर पर नहीं कर सकते सुनवाई**

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से छात्रसंघ चुनाव के नाम पर वसूली गई, फीस वापस किये जाने या फिर चुनाव कराने के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश राम मीणा की खंडपीठ ने यह आदेश शुभम रेवाड की जनहित याचिका पर दिए।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं यह फीस वापस लेने के लिए आवेदन कर रखा है। ऐसे में मामले को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता। अदालत ने इसे जनहित याचिका के रूप में रद्द कर सामान्य याचिका के तौर पर संबंधित एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है।

जनहित याचिका में कहा गया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से प्रत्येक छात्र से विभिन्न मदों में फीस वसूली जाती है। इनमें से एक मद छात्रसंघ चुनाव का भी है। प्रत्येक छात्र से 145 रुपए छात्रसंघ चुनाव और 110 रुपए मेंबरशिप फीस के नाम से लेते हुए कुल 255 रुपए वसूले गए हैं। यदि सभी छात्रों की बात की जाए तो करीब 63 लाख रुपए से अधिक की राशि इस मद में वसूली गई है। लेकिन छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। याचिका में गुहार की गई कि या तो विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए जाएं या छात्रों से वसूली फीस वापस लौटाने को कहा जाए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्वयं फीस लौटाने का आवेदन कर रखा है। इसलिए मामले को जनहित याचिका के तौर पर नहीं सुना जा सकता।

खाद्य सुरक्षा कानून में पुलिस को कार्रवाई का अधिकार नहीं : कोर्ट

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एक विशेष कानून है। इस कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पुलिस को प्रकरण में कार्रवाई करने का प्रथम दृष्टया कोई अधिकार ही नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में मिलावट के आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश साहब सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ धौलपुर की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न आधारों में एफआईआर दर्ज की थी। याचिका में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक विशेष कानून है।

हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी बैठक

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी जयपुर शहर कार्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान की तैयारीयों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के प्रदेश संयोजक पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर देशवासी बड़े जोश और उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान में पिछले दो वर्ष से भाग ले रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 112 वें संस्करण में इस वर्ष भी पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान बनाने का आव्हान किया है। हमारे प्रधानमंत्री जिस अभियान की शुरुआत करते हैं, वह एक उत्सव का रूप ले लेता है। इस अभियान की रूपरेखा बताते हुए बोहरा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत 11, 12, 13 अगस्त को प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा जिसमें युवा मोर्चा की अग्रणी भूमिका रहेगी मंडल स्तर पर भी इस अभियान की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध स्मारकों पर पुष्पांजलि एवं स्वच्छता का कार्यक्रम करेगी।

युवा कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस

जयपुर, (का.प्र.)। भारतीय युवा कांग्रेस के 64वें स्थापना दिवस पर शुक्रवार को राजस्थान युवा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष यशवीर शूरा ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया।

ध्वजारोहण के बाद पीसीसी में राष्ट्रिपता महात्मा गांधी के वचन की "जहां स्वच्छता है ,वहा ईश्वर निवास करते है" ध्येय हो आगे बढ़ाते हुए स्थानीय सफाई कर्मचारियो का सम्मान किया गया। साथ ही प्रकृति संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान "एक पेड़ भारत के भविष्य के लिए" मुहीम के तहत वृक्षारोपण किया गया।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो : विश्व हिंदू परिषद्

जयपुर। आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद् राजस्थान के क्षेत्रीय मंत्री सुरेश उपाध्याय ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश हिंसा और अराजकता से ग्रसित है। निर्वाचित प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने और देश छोड़ने के बाद अराजक तत्व हावी हो गए हैं और कानून व्यवस्था सर्वथा निष्प्रभावी हो चुकी है। इस अराजक स्थिति में वहाँ के आतंकवादी जिहादी तत्वों ने हिंदू समाज का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न शुरू कर दिया है।

सुरेश उपाध्याय ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से हिन्दू अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरे बांग्लादेश में हर जिले में यह वीभत्स कुकृत्य होने की सूचना है। कट्टरपंथियों के निशाने से शमशान तक नहीं बचे हैं। मंदिरों को भारी क्षति पहुंचाई गयी है। बांग्लादेश में शायद ही कोई जिला बचा हो जो इनकी हिंसा व आतंक का निशाना न बना हो। समय समय पर निरंतर अंतराल पर होने वाले ऐसे दंगों का ही परिणाम है कि बांग्लादेश में हिंदू जो विभाजन के समय 32 थे, अब 8 से भी कम बचे हैं और वे भी लगातार जिहादी उत्पीडन के शिकार हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के घर, मकान, दुकान, ऑफिस, व्यवसायिक प्रतिष्ठान व महिलाएं, बच्चे व उनकी आस्था व विश्वास के केंद्र मन्दिर तक सुरक्षित नहीं हैं।

खोया पाया

मकान नंबर 68/419 का मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र एवं भौतिक कब्जा कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। हुकम चन्द जैन-9001464644

नाम परिवर्तन

मैं अपना नाम अश्वनी कुमार टेकचंदानी से बदलकर अश्वनी टेकचंदानी पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार टेकचंदानी निवासी 45/156 किरण पथ, मोती पथ, मानसरोवर जयपुर रख रहा हूँ भविष्य में मुझे मेरे उक्त नये नाम से ही जाना पहिचाना जावें।

मैं दिव्य कुमार काबरा पुत्र श्री जयप्रकाश काबरा निवासी बी-5 शिवाजी गोदारा कॉलोनी, खातीपुरा रोड, झोटवाडा ने सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम दिव्य कुमार जयप्रकाश काबरा से बदलकर दिव्य कुमार काबरा कर लिया है।

मैं संदीप कुमार पुत्र श्री रणवीर सिंह निवासी 31 फेज-।। सुशांत सिटी-।।, कालवाड़ रोड जयपुर ने अपना नाम भविष्य के उद्देश्यों के लिए संदीप पूनिया में बदल लिया है।

I, Prem Singh R/o Shilp Colony, Kalwar Road, Jhotwara, Jaipur. I have changed my son's name from Priyanshu Singh to Priyaanshu Singh. In future known as Priyaanshu Singh.

नम्बर मिलाइए 9587884433

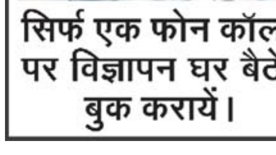

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक-एफ.55()वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1315
सार्वजनिक सूचना दिनांक- 05.08.2024

भूखण्ड सं. 130 श्री नारायणपुरी झोटवाडा, जयपुर (गुलाबवाडी गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री रामकरण दान पुत्र श्री हजारी दान के पक्ष में क्षेत्रफल 175.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री ताज मोहम्मद साबिर चौहान पुत्र श्री साबिर चौहान व मोहम्मद नदीम भाटी पुत्र श्री मोहम्मद असलम भाटी ने भूखण्ड सं. 130 श्री नारायणपुरी झोटवाडा, जयपुर (गुलाबवाडी गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (विद्याधर जोन)
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाडी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाडी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक-एफ.55()वि.जोन/न.नि.ज.(ग्रे)/2024/1314
सार्वजनिक सूचना दिनांक- 05.08.2024

भूखण्ड सं. 255, संजय नगर-बी, झोटवाडा, जयपुर (नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री रामसिंह पुत्र श्री रघुवर दयाल के पक्ष में क्षेत्रफल 416.66 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री मोहम्मद सलीम पुत्र श्री घासी खान ने भूखण्ड सं. 255, संजय नगर-बी, झोटवाडा, जयपुर (नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकाम सांभरलेक
छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व तुड़वाये जाने अनाधिकृत निर्माण व दिलाये जाने कब्जा
मुकदमा नंबर- 49/13

बनाम मुसम्मी शिमला पुत्री स्व. लालू कुम्हार पत्नि रमेश कुम्हार कौम कुम्हार साकिन रावण गेट परगना जयपुर (राज.)

चूंकि छीतर खां ने इस अदालत में तारीख..माह..सन.. को छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि लालू कुम्हार मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी लालू कुम्हार मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है व बजाय उसके आप कायमुकाम बनाए जाए।

लिहाजा नजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही तारीख 12 माह 8 सन 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से-प्रस्तुतकार
मोहर अदालत
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक जिला जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(आर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकाम सांभरलेक
छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व तुड़वाये जाने अनाधिकृत निर्माण व दिलाये जाने कब्जा
मुकदमा नंबर- 49/13

बनाम मुसम्मी विमला पुत्री स्व. लालू कुम्हार पत्नि गणेश कुम्हार कौम कुम्हार साकिन छोटा बाजार परगना सांभरलेक (राज.)

चूंकि छीतर खां ने इस अदालत में तारीख..माह..सन.. को छीतर खां बनाम लालू कुम्हार व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया। और चूंकि लालू कुम्हार मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी लालू कुम्हार मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है व बजाय उसके आप कायमुकाम बनाए जाए।

लिहाजा नजरिये हाजा बगर्ज जवाब देही तारीख 12 माह 8 सन 2024 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजरी में सुना व फैसला किया जावेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.08.2024 को जारी किया गया।

आज्ञा से-प्रस्तुतकार
मोहर अदालत
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांभर लेक जिला जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 25/2024
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि प्रार्थी श्री अनिल चौधरी ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री दाऊजी महाराज गटरू-मटरू ट्रस्ट, बजाजा बजार, अलवर के प्रन्यासियों में हुए परिवर्तन को दर्ज अभिलेख कराने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 10.09.2024

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सम्मन बनाम कायम मुकाम
(ऑर्डर 22 रूल 4 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 4 जयपुर जिला
पूनम बत्रा बनाम देवराज व अन्य
दावा बाबत दावा
मुकदमा 93/18 सन्

बनामः 1. मुसम्मी सागर वल्द स्व. देवराज कौम..... साकिन 9, शिव कॉलोनी, बजरंग दास जी की बगीची, झोटवाडा, जयपुर
2. रिंकू वल्द स्व. देवराज कौम...... साकिन 9, शिव कॉलोनी, बजरंग दास की बगीची, झोटवाडा, जयपुर, चूंकि पूनम बत्रा ने इस अदालत में तारीख.....माह ....सन् 20.... को 1. पूनम बत्रा बनाम 2. देवराज व अन्य दायर की जो कि बाद में फोत हो गया और चूंकि ..... मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी ..... मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है बजाय उसके आप 3.... बनाये जावें। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही 1.... आपको तारीख 12 माह 8 सन् 24 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और तारीख मुकर्रर पर आपके हाजिर न होने पर मुकदमा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8 माह 8 सन् 24 को जारी किया गया।

प्रस्तुतकार
मुहर
अपर जिला एव सैशन न्यायाधीश क्रम 4, जयपुर जिला, जयपुर